लोक शिक्षण संचालनालय
ब्लॉक -सी इन्द्रावती भवन,
अटल नगर रायपुर छत्तीसगढ़
ई-मेल cg.dpi.dri@gmail.com दूरभाप नं 0771. 2331385 फैक्स 0771.24445215

आदेश

क्रमांक/स्था.3ई संवर्ग/I/111033/2025   नवा रायपुर, दिनांक 04-09-2025

श्री हलधर प्रसाद साहू, सहायक शिक्षक (एल.बी.), शास.प्राथ.शाला फरहदा, वि.ख.-बिल्हा, जिला -बिलासपुर, श्री रमेश कुमार साहू, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शास.प्राथ.शाला ढेका, वि.ख.-बिल्हा, जिला -बिलासपुर, श्रीमती शिप्रा बघेल, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शास.प्राथ.शाला बिजौर,वि.ख.-बिल्हा, जिला -बिलासपुर, श्री सूरज कुमार सोनी सहायक शिक्षक (एल.बी.) शास.प्राथ.शाला चकरभाठा, वि.ख.-बिल्हा, जिला -बिलासपुर, श्री ज्ञानचन्द्र पाण्डेय, सहायक शिक्षक (एल.बी.) शास.प्राथ.शाला पंधी, वि.ख.-मस्तूरी, जिला -बिलासपुर द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दायर याचिका wps 264 of 2025wps508 of 2025 एवं wps1056 of 2025 में दिनांक 16.04.2025 को पारित आदेश के अनुक्रम में संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ को दिनांक 23-04-2025 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 23-04-2025 में यह कहा है कि संबंधित शिक्षकों के शासन का दिशा निर्देश स्वंय के संस्था में पद रिक्त होने पर यथा संभव उसी संस्था पर पदांकन करने का निर्देश जारी किया गया था। उसी स्थान पर पदांकन चाहा गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दायर याचिका wps 264 of 2025wps508 of 2025 एवं wps1056 of 2025 में दिनांक 16.04.2025 को पारित आदेश के पैरा 7 एवं 8 में निम्न आदेश है:

7. Having considered the facts and circumstances of the case, particularly taking note of circular dated 07.02.2022 issued by the Directorate of Public Instruction/respondent No.2 (For short 'DPI'), and also in the interest of justice, the petitioners are directed to submit their respective representations by raising their grievances before respondent No.2/DPI within a period of 15 days from the date of receipt of copy of this order and thereafter the said authority shall consider and decide the same within a period of 15 days, in accordance with law/as per the guidelines issued by the State Govt. and on its own merits. Till the period of 30 days, the effect and operation of order dated 27.12.2024 in respect of the present petitioners is hereby stayed and they are allowed to work in their respective schools where they are working before promotion.

8. Accordingly, all the Writ Petitions stand disposed of with aforesaid observations and directions.

CIVIL INDIA NEWS NETWORK

अभ्यावेदन का परिक्षण किया गया जिसमें यह पाया गया कि, जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर द्वारा सहायक शिक्षक एल.बी./सहायक शिक्षक (विज्ञान) एल.बी. से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति आदेश क्रमांक 12402/स्था.03/पदो./प्र.पा. (प्रा.शा.)/ई.संवर्ग/2024 बिलासपुर दिनांक 27.12.2024 के द्वारा पदोन्नति की जाकर पदस्थापना की गई है। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर द्वारा सहायक शिक्षक एल.बी./सहायक शिक्षक (विज्ञान) एल.बी.से प्रधान पाठक प्राथमिक शाला के पद पर पदोन्नति के पश्चात आदेश जारी करने के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2–96/2022/20.दो दिनांक 29.03.2023 के द्वारा पदोन्नति पश्चात पदांकन कांउसलिंग के माध्यम से किये जाने हेतु जारी किये गये दिशा निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 23.12.2024को 169कर्मचारियों की कांउसलिंग के माध्यम से पदस्थापना किये जाने हेतु कांउसलिंग की गई।

169 सहायक शिक्षक एल.बी./सहायक शिक्षक (विज्ञान) एल.बी.की कांउसलिंग हेतु 109 सहायक शिक्षक उपस्थित हुए। जिसमें श्री हलधर प्रसाद साहू की पात्र सूची अनुसार सरल क्रमांक 145, श्री रमेश कुमार साहू की पात्र सूची अनुसार सरल क्रमांक 19, श्रीमती शिप्रा बघेल की पात्र सूची अनुसार सरल क्रमांक 117, श्री सुरल कुमार सोनी की पात्र सूची अनुसार सरल क्रमांक 89, श्री ग्यानचंद पाण्डेय की पात्र सूची अनुसार सरल क्रमांक 24 में नाम अंकित है उक्त सभी कर्मचारी कांउसलिंग हेतु उपस्थित हुए जिसमें 04 कर्मचारी द्वारा कांउसलिंग में शाला को चयन नहीं किया गया एक कर्मचारी श्री ग्यानचंद पायण्डेय द्वारा असहमति लिखित में दी गई। याचिकाकर्त्ता द्वारा कांउसलिंग प्रक्रिया का पूर्ण पालन नहीं किया गया। सरल क्रमांक 01से 59 तक की एकल शिक्षकीय शाला में 01 से 59 तक के सरल क्रमांक में क्रम अनुसार पदस्थापना की जानी थी ऐसे किये जाने पर सरल क्रमांक 19 एवं सरल क्रमांक 24 के

Scanned with CamSc

क्रम अनुसार श्री राकेश कुमार साहू तथा ध्यानचंद पाण्डेय की एकल शिक्षकीय शाला में पदस्थापना होती जो इस प्रकरण में नहीं की गई है।

इससे यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण प्रकरण में छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2–96/2022/20.दो दिनांक 29.03.2023 के दिशा निर्देश पालन में याचिकाकर्त्ता द्वारा कांउसलिंग प्रक्रिया में उपस्थित दर्ज करते हुए चार कर्मचारियों द्वारा कांउसलिंग प्रक्रिया का पूर्ण पालन नही किया गया एक कर्मचारी द्वारा स्थान चयन के लिए अहसमती दी गई है आवेदक द्वारा कांउसलिंग प्रक्रिया का पालन नहीं करने से कांउसलिंग समिति द्वारा दिनांक 23.12.2024 को लिए गए निर्णय अनुसार पदांकन आदेश जारी किया गया था।

आवेदक द्वारा न्यायालयीन प्रकरण के अनुक्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदन में प्रकरण में प्रस्तुत तर्क अनुसार छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2–96/2022/20.दो दिनांक 29.03.2023 के पदोन्नति पश्चात पदांकन हेतु निर्धारित मापदंड में यह तथ्य कही भी प्रकाश में नही आता है कि जिस संस्था में कर्मचारी कार्यरत हो उसी संस्था में संबंधित की पदस्थापना की जावे।

अतः याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक 23.04.2025 को उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर अमान्य किया जाता है, साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर द्वारा शासन के दिनांक 29-03-2023 के दिशा निर्देशानुसार पदोन्नति पश्चात पदस्थापना की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

CIVIL INDIA
NEWS NETWORK

Digitally signed by
RITURAJ RAGHUVANSHI
Date: 04-09-2025
10:48:31

संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक/स्था.3ई संवर्ग/I/111033/2025 नवा रायपुर, दिनांक04-09-2025

प्रतिलिपिः-

1. सचिव,छत्तीसगढ़ शासन,स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
2. रजिस्ट्रार छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर।
3. महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर।
4. संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग बिलासपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर संबंधित अभ्यावेदक को आदेश तामिल कराकर पावती अभिस्वीकृति संचालनालय को तीन दिवस के भीतर उपलब्ध करावे।
6. संबंधित .... की ओर सूचनार्थ।
7. गार्ड फाईल।

संचालक
लोक शिक्षण छत्तीसगढ़

Scanned with CamSc